

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 623 एल-1-10/2016/ब-07/डी. एम. सी./चार

भोपाल दिनांक 26/03/2016

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा,
पर्यावास भवन,
मध्यप्रदेश, भोपाल
फैक्स - 0755-2676030

विषय - राज्य शासन के कोष से देयक/ चेक्स के आहरण के संबंध में।


संदर्भ - इस विभाग के 1749/2015/डीएमसी/ब-07 भोपाल, दिनांक 15.10.2015

— — —

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। वेतन/ भत्ते, मजदूरी, छात्रवृत्ति मदों को छोड़कर शेष सभी मद के देयकों के आहरण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। शेष देयक वित्त विभाग की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत एवं आहरित किये जा सकेंगे।

2/- यह निर्देश तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2016 तक लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


26/3/16
(डॉ नवनीत माहन कोठारी)

संचालक, बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक एल-1-10/2016/ब-07/डी. एम. सी./चार

भोपाल दिनांक 26/03/2016

प्रतिलिपि :-

1. शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागायुक्त
3. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
5. वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।

संचालक, बजट

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग